- टी वी के प्रमुख विजय ने राज्यपाल से मुलाकात कर तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया ।
- पश्चिम बंगाल के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों के आज से कार्यालय आने पर रोक लगा दी गई है।
- सांसद बिष्णु पद रे ने डिग्री कॉलेजों में अतिथि व्याख्याताओं की सेवाएं जारी रखने की मांग की।
- बाराटांग में पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर नीलांबुर जेट्टी में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया।

<><><><><><><>

तमिलगा वेत्री कषगम प्रमुख विजय ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात के दौरान तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उनकी पार्टी टीवीके को बहुमत के 118 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीटों की आवश्यकता है। अब अभिनेता से राजनेता बने विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। पांच विधायकों वाली कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु प्रदेश प्रभारी गिरीश चोडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों की एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। टीवीके को समर्थन को लेकर डीएमके और कांग्रेस के दीर्घकालिक गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। डीएमके नेता और कनिमोई के प्रवक्ता एनवीएन सोमू ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है, तो यह डीएमके के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि डीएमके कठिन समय में कांग्रेस के साथ खड़ी रही है।

<><><><><><><>

असम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा ने आज गुवाहाटी के लोक भवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया। मीडिया से बातचीत में डॉ. सरमा ने बताया कि राज्यपाल कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 11 मई के बाद होने की संभावना है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समारोह में आमंत्रित किया गया है। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा विधानसभा दल नेतृत्व का निर्णय करेगी, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे।

<><><><><><><>

पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन विभिन्न पदों पर कार्यरत सेवानिवृत्त अधिकारियों को आज से कार्यालय आने से रोक दिया गया है। इनमें अधिकतर भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं। लोक भवन के निर्देशों और मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला की जानकारी के अनुसार, सभी विभागों के सचिवों ने मौखिक रूप से इस निर्देश का पालन करने की सूचना दी है। यह आदेश नई सरकार के गठन तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री कार्यलय नबन्ना के सूत्रों ने पुष्टि की है कि प्रशासन के कई सलाहकारों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनमें अलापन बंद्योपाध्याय, हरिकृष्ण द्विवेदी, मनोज पंथ और अभिरूप सरकार शामिल हैं। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को आधिकारिक फाइलों की सुरक्षा के महत्व को दोहराया। वित्तीय सलाहकार फाइलों के उचित संरक्षण में सहायता करेंगे।

<><><><><><><>

अंडमान एवं निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी औद्योगिक इकाइयों एवं संबंधित हितधारकों को सूचित किया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी उद्योग, प्रक्रिया, संयंत्र अथवा अपशिष्ट उपचार/निस्तारण प्रणाली की स्थापना या विस्तार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत भी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन वर्जित है। इसके अनुसार, किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना से पूर्व सी टी ई तथा संचालन प्रारंभ करने से पूर्व सी टी ओ प्राप्त करना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

<><><><><><><>

सांसद बिष्णु पद रे ने प्रशासन से आग्रह किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए द्वीपसमूह के सभी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स की सेवाओं को जारी रखा जाए। सांसद ने जेएनआरएम, एएनसीओएल, एमजी कॉलेज मायाबंदर, बी.एड कॉलेज, डीबीआरएआईटी सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये शिक्षक कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और यूजीसी मानकों के अनुसार योग्य होने के साथ–साथ उनका कार्य संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि बार–बार नई भर्ती प्रक्रिया से प्रशासनिक विलंब होता है और शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। अतः उन्होंने मौजूदा गेस्ट फैकल्टी को प्राथमिकता देने, केवल रिक्त पदों पर ही नई भर्ती करने तथा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान और पारदर्शी नीति अपनाने का सुझाव दिया है। सांसद ने यह भी अनुरोध किया है कि लॉ कॉलेज और ANIIMS जैसे संस्थानों में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अन्य कॉलेजों में भी लागू किया जाए।

<><><><><><><>

पर्यटकों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फायर स्टेशन बाराटांग के अग्निशमन कर्मियों द्वारा निलांबुर जेट्टी, बाराटांग के बोर्डिंग पॉइंट पर एक विशेष सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों को लाइफ जैकेट एवं लाइफबॉय के सही उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन कराया गया। इसके साथ ही उन्हें समुद्र में जीवन सुरक्षा के महत्वपूर्ण सिद्धांतों, जैसे मस्टर प्रक्रिया और आपातकालीन संकेतों के बारे में जानकारी दी गई। अग्निशमन कर्मियों ने डूबने या आग जैसी आपात स्थितियों में किए जाने वाले आवश्यक कदमों के साथ–साथ नाव यात्रा के दौरान पालन किए जाने वाले 'डूज एंड डोंट्स' की भी जानकारी दी। इस जागरूकता कार्यक्रम में 100 से अधिक पर्यटकों एवं नाव कर्मियों ने भाग लिया।

<><><><><><><>

मध्योत्तर अंडमान जिला पुलिस ने 04 मई से समर कैंप कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरु की है। यह कार्यक्रम रांगत, डिगलीपुर और मायाबंदर स्थित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में आयोजित किए जा रहे हैं। मायाबंदर में कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक विकास स्वामी ने किया। वहीं डिगलीपुर में एसडीपीओ राहुल विक्रम DANIPS तथा रांगत में BDO प्रदीप कुमार सिंह द्वारा किया गया। इन समर कैंपों में चित्रकला, पेंटिंग, सुलेख, रुबिक क्यूब सॉल्विंग तथा ट्यूशन सहायता जैसी विविध शैक्षणिक गतिविधियाँ शामिल हैं। साथ ही खेलकूद, इनडोर गेम्स, स्वास्थ्य एवं कल्याण सत्र तथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। प्रतिभागियों को फायर स्टेशन, पुलिस रेडियो सुविधाओं तथा रक्षा प्रतिष्ठानों का भ्रमण भी कराया जाएगा। विशेषज्ञों की देखरेख में तैराकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिसे एक जीवन रक्षक कौशल के रूप में शामिल किया गया है। कार्यक्रम में व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान देते हुए जीवन कौशल, अनुशासन, नए आपराधिक कानून एवं यातायात नियमों पर भी सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन समर कैंपों से लगभग 200 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

<><><><><><><>

दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत सहयोगी व्यक्ति के रूप में कार्य करने वालों के लिए पैनल बनाने के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए है। चयनित व्यक्तियों को बाल पीड़ितों की सहायता, परामर्श एवं कानूनी प्रक्रिया में सहयोग के लिए नियुक्त किया जाएगा। आवेदन के लिए सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा बाल शिक्षा एवं संरक्षण क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातक पात्र होंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई, दक्षिण अंडमान से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>